

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक प. 25 (13) साप्र/4/2014

जयपुर दिनांक 9.1.15

1. प्रबन्धक,

विश्राम भवन,
अजमेर, अलवर, चित्तौडगढ़,
चुरु, दौसा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़,
झालावाड़, सिरोही, उदयपुर,
राजसमंद, माउण्ट आबू

विषय :- वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न मदों में हुए व्यय का अंक मिलान।

संदर्भ :- समसंख्यक पत्र दिनांक 10.10.2014 एवं 08.12.2014

सन्दर्भित पत्रों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के माह 11/14 तक के व्यय व आय का अंकमिलान कोष कार्यालय से कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था। कोष कार्यालय से अंकमिलान कर अविलम्ब रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु संबंधित प्रबंधकों को दूरभाष पर भी निर्देशित किया गया था। परन्तु खेद का विषय है कि आप द्वारा अभी तक उपर्युक्त रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है, जिसके कारण महालेखाकार कार्यालय से अंकमिलान कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है। वित्त विभाग द्वारा अंकमिलान समय पर नहीं होने को अत्यधिक गंभीरता से लिया गया है।

अंकमिलान रिपोर्ट समय पर प्रेषित नहीं करने का कारण स्पष्ट करें एवं तीन दिवस में माह नवम्बर, 14 तक के व्यय व आय का अंकमिलान कर रिपोर्ट इस विभाग को प्रेषित करें। संबंधित प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना (स्वयं का) आगामी माह का वेतन इस विभाग की पूर्व अनुमति के बिना आहरित ना करें।

(डॉ मनीष शुक्ला)
मुख्य लेखाधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- ✓ 1. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. कोषाधिकारी, अजमेर, अलवर, चित्तौडगढ़, चुरु, दौसा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झालावाड़, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद।



(डॉ मनीष शुक्ला)
मुख्य लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक प. 25 (13) साप्र/4/2014

जयपुर दिनांक 9.11.15

1. प्रबन्धक,
विश्राम भवन,
अलवर, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर,
सिरोही, उदयपुर, राजसमंद

विषय :- वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न मदों में हुए व्यय का अंक मिलान।

संदर्भ :- समसंख्यक पत्र दिनांक 10.10.2014 एवं 08.12.2014

सन्दर्भित पत्रों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के माह 7/14 तक के व्यय व आय का अंकमिलान कोष कार्यालय से कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था। कोष कार्यालय से अंकमिलान कर अविलम्ब रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु संबंधित प्रबंधकों को दूरभाष पर भी निर्देशित किया गया था। परन्तु खेद का विषय है कि आप द्वारा अभी तक उपर्युक्त रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है, जिसके कारण महालेखाकार कार्यालय से अंकमिलान कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है। वित्त विभाग द्वारा अंकमिलान समय पर नहीं होने को अत्यधिक गंभीरता से लिया गया है।

अंकमिलान रिपोर्ट समय पर प्रेषित नहीं करने का कारण स्पष्ट करें एवं तीन दिवस में माह जुलाई, 14 तक के व्यय व आय का अंकमिलान कर रिपोर्ट इस विभाग को प्रेषित करें। संबंधित प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना (स्वयं का) आगामी माह का वेतन इस विभाग की पूर्व अनुमति के बिना आहरित ना करें।

६.
(डॉ मनीष शुक्ला)
मुख्य लेखाधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. कोषाधिकारी, अलवर, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर, सिरोही, उदयपुर (शहर) एवं राजसमंद।

(डॉ मनीष शुक्ला)
मुख्य लेखाधिकारी